



भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)

प्रलिस के लयल:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतस्पर्द्धा अधनलयम 2002

मेन्स के लयल:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के मुद्दे और उपलब्धलयँ, वभलनन प्रकार के सांवलकल नकलय

चर्चा में क्यँ?

हाल ही में वतलत मंत्रल ने भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के 13वँ वार्षकल दवलस समारोह में भाग ललय ।

- इस अवसर पर वतलत मंत्रल ने कोलकाता में क्षेत्रलय कार्यालय का उद्घाटन कलय और CCI के लयल एक उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ भी कलय ।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):

परचलय:

- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग एक सांवलकल नकलय है जो [प्रतस्पर्द्धा अधनलयम, 2002](#) के उद्देश्यँ को लागू करने के लयल उत्तरदायल है । इसका वधलयत गठन मार्च 2009 में कलय गया था ।
- राघवन समतल कल सफलरलयँ के आधार पर [एकाधकलर और प्रतलबलधातुमक व्यापार वयवहार अधनलयम \(MRTP Act\)](#), 1969 को नरलसत कर इसे प्रतस्पर्द्धा अधनलयम, 2002 द्वारा प्रतसलथापतल कलय गया है ।

सरंचना:

- प्रतस्पर्द्धा अधनलयम के अनुसार, आयोग में एक अधयकष और छह सदस्य होते हैं जलनहँ केंद्र सरकार द्वारा नयुकुत कलय जाता है ।
- आयोग एक [अरुद्ध-न्यायकल नकलय \(Quasi-Judicial Body\)](#) है जो सांवलकल प्राधकलरणँ को परामरश देने के साथ-साथ अन्य मामलँ को भी संबोधतल करता है । इसके अधयकष और अन्य सदस्य पूरणकालकल होते हैं ।

सदस्यँ कल पातरता:

- इसके अधयकष और सदस्य बनने के लयल ऐसा वयकतल पातर होगा जो सतयनषलठा और प्रतषलठा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नयुकुत होने कल योग्यता रखता हो या जसलके पास अंतरराषटुरलय व्यापार, अरथशासुत्र, कारोबार, वाणजलय, वधलय, वतलत, लेखा कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतस्पर्द्धा संबंधल वषलयँ में कम-से-कम पंद्रह वरष का वशलष ज्ञान एवं वृत्तकल अनुभव हो और केंद्र सरकार कल राय में आयोग के लयल उपयोगल हो ।

प्रतस्पर्द्धा अधनलयम, 2002:

- प्रतस्पर्द्धा अधनलयम वरष 2002 में पारतल कलय गया था और [प्रतस्पर्द्धा \(संशोधन\) अधनलयम, 2007](#) द्वारा इसे संशोधतल कलय गया । यह आधुनकल प्रतस्पर्द्धा वधलयनँ के दरशन का अनुसरण करता है ।
 - यह अधनलयम प्रतस्पर्द्धा-वरलधी करारँ और उद्यमँ द्वारा अपनी प्रधान सथतल के दुरुपयोग का प्रतषलध करता है तथा समुच्चयँ [अरजन, नयलंतरण, 'वललय एवं अधगलरहण' (M&A)] का वनलयमन करता है, क्यँकल इनकल वजह से भारत में प्रतस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतकलल प्रभाव पड़ता है या इसकल संभावना बनी रहतल है ।
 - संशोधन अधनलयम के प्रावधानँ के अनुरूप भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग और [प्रतस्पर्द्धा अपलयलय न्यायाधकलरण \(Competition Appellate Tribunal- COMPAT\) कल सथापना कल गई](#) ।
 - वरष 2017 में सरकार ने प्रतस्पर्द्धा अपलयलय न्यायाधकलरण (COMPAT) को [राषटुरलय कानून अपलयलय न्यायाधकलरण \(National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT\)](#) से प्रतसलथापतल कर दलय ।

CCI कल भूमकल और कार्य:

- **प्रतस्पर्द्धा पर प्रतकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना**, प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- किसी वधिन के तहत स्थापित किसी सांघिकि प्राधकिरण से प्राप्त संदर्भ के लयि प्रतस्पर्द्धा संबंधी वषियों पर परामर्श देना एवं प्रतस्पर्द्धा की भावना को संपोषति करना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना एवं प्रतस्पर्द्धा के वषियों पर प्रशकिषण प्रदान करना।
- **उपभोक्ता कल्याण**: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लयि बाजारों को सकषम बनाना।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी विकास एवं वृद्धि के लयि देश की आर्थिक गतविधियों हेतु नषिपक्ष और स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वति करने के उद्देश्य से प्रतस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।
- प्रतस्पर्द्धा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हतिधारकों के बीच प्रतस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतस्पर्द्धा की संस्कृति का विकास तथा संपोषण कया जा सके।

CCI की अब तक की उपलब्धियाँ:

- आयोग ने 1,200 से अधिक स्पर्द्धारोधी मामलों का नरिणय कया है, यानी स्पर्द्धारोधी मामलों में केस नपिटान दर 89% है।
- इसने अब तक 900 से अधिक वलिय और अधग्रहण के मामलों की समीक्षा की है, उनमें से अधकिंश को 30 दिनों के रकिॉर्ड औसत समय के भीतर मंजूरी दी है।
- आयोग ने संयोजनों/लेन-देनों पर स्वचालति अनुमोदन के लयि 'ग्रीन चैनल' प्रावधान जैसे कई नवाचार भी कयि हैं तथा ऐसे 50 से अधिक लेन-देन को मंजूरी दी है।

चुनौतियाँ:

- **डजिटिलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ**: चूँकि प्रतस्पर्द्धा अधनियम (2002) के समय हमारे पास एक मज़बूत डजिटिल अर्थव्यवस्था नहीं थी, अतः CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकियों को समझना चाहयि।
- **नई बाजार परभाषा की आवश्यकता**: भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग को अब बाजार की अपनी परभाषा को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। चूँकि डजिटिल स्पेस की कोई सीमा नहीं है, अतः प्रासंगिक बाजारों को परभाषति करना वशिव भर के नयामकों के लयि एक कठिन काम रहा है।
- **कार्टेलाइजेशन से खतरा**: कार्टेलाइजेशन से खतरे की संभावना है। चूँकि महामारी के कारण वस्तुओं की वैश्विक कमी देखी गई है और सूर्वी यूरोप में युद्ध के परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला पर इसका प्रतकूल प्रभाव पड़ा है।
 - इनकी जाँच कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष में उत्तार-चढ़ाव के पीछे कोई एकाधिकार/द्वैतवादी प्रवृत्तति नहीं है।

आगे की राह

- **वेब 3.0, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन** और अन्य तकनीकी उन्नयनों के साथ ही डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता, प्लेटफॉर्म तटस्थता, डीप डस्किअंटेगि, कलिर एक्वज़िशन आदि जैसे मुद्दों का उद्भव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारत के लयि एक मज़बूत प्रतस्पर्द्धा कानून-जो प्रौद्योगिकी की वर्तमान दुनिया में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपरहिर्य हो गया है। इस तरह का कानून डजिटिल बाजार के अभकिर्त्ताओं को व्यावहारिक स्तर पर सहभागति में सकषम बनाएगा।
 - CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकियों के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं के लाभ के लयि इन बाजारों का उचित, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग कया जा रहा है या नहीं।
- **FAQS** एक स्थायी समर्थन साधन बन सकते हैं जिसका प्रयोग "उपयोग के लयि तैयार आधार (Ready-to-Use Basis)" के रूप में सूचना प्रसारति करने के लयि कया जा सकता है।
 - यह एक सक्रयि और प्रगतशील नयामक के रूप के रूप में CCI की स्थति को मज़बूत करेगा तथा इस तरह के मार्गदर्शन से बाजार सहभागियों को नविरक उपाय प्रदान करने में मदद मलैगी।

स्रोत: पी.आई.बी.